


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 2437 / 2016 .....जिला.....भरतपुर .....

उनवान- सीटीओ, करापवंचन भरतपुर बनाम श्री शंकर इण्डस्ट्रीज ऑयल, भरतपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.04.2017	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विभाग की ओर से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विद्वा करने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन भरतपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रत्यार्थी राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए विभाग हस्तगत प्रकरण को विद्वा करने की अनुमति चाहता है तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण विद्वा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी राजस्व के प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण विद्वा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्व्रावल खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       सदस्य                      राजस्थान कर बोर्ड                      अजमेर                 </p>	